राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 28-06-2024
स्थान– होटल रेडिसन ब्लू, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 87वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 87वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 28-06-2024 को होटल रेडिसन ब्लू, रांची में आयोजित की गई। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री एम. कार्तिकेयन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्य अतिथि की तौर पर माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, डॉ रामेश्वर ओरांव और विशिष्ट अतिथि की तौर पर माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्री बादल पत्रलेख इस त्रैमासिक बैठक में सम्मालित हुए। उक्त बैठक में वित्त विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री प्रशान्त कुमार,भा॰प्र॰ से॰, एस॰एल॰बी॰सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक, श्री सुनील कृष्णा जहागीरदार, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, के॰वि॰ बंगारराजू, एस॰एल॰बी॰सी के उप महाप्रबंधक, श्री सी एच गोपाला कृष्णा एवं भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबन्धक श्रीमति अनामिका शर्मा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त कैनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री सुजीत कुमार साहू, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कु॰ सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभास बोस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बैजनाथ सिंह एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः है-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

सर्वप्रथम श्री कुमार ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, अग्रणी ज़िला प्रबन्धको, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को राज्य की बैंकिंग गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया तथा इस क्रम मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य द्वारा हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- श्री कुमार ने सभा सदस्यों को बताया कि एसएलबीसी झारखंड को वित्त वर्ष **2023-24** मे **PFRDA** द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत लक्ष्य का **158%** हासिल करने के लिए मध्यम श्रेणी के राज्यों मे **"AWARD OF ULTIMATE LEADERSHIP"** प्राप्त हुआ है। इस कार्य के लिए उन्होने सभा मे उपस्थित सभी **BANKS** एवं **LDMs** को बधाई दिया साथ ही आशा जताई कि इसी प्रकार अटल पेंशन योजना के नामांकन में हम पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन को दोहराते रहेंगे। श्री कुमार ने साथ ही साथ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक ने सभा को बताया की वित्त वर्ष **2023-24** मे समस्त बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना के तहत आवंटित बजट का 109 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। उन्होने आगे बताया की वार्षिक ऋण योजना मे उपलब्धि क्रमशः इस प्रकार है: कृषि क्षेत्र में 80.23 प्रतिशत, एमएसएमई क्षेत्र में 124.89 प्रतिशत, कुल प्राथमिकता क्षेत्र मे 104.15 प्रतिशत,

गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मे 114.38 प्रतिशत। श्री कुमार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एसीपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को बधाई दिया और यह भी उम्मीद जताई कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सभी हितधारक वर्ष 2024-25 में भी इसी प्रकार प्रयासरत रहेंगे। उन्होने इस मंच के माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह किया कि इस वर्ष **कृषि ऋण तथा Other Priority Sector** पर अधिक ध्यान दें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कुमार ने सभा को बताया कि **DFS** के दिशानिर्देशानुसार एस.एल.बी.सी झारखंड के सदस्य बैंकों द्वारा 3000 से अधिक आबादी वाले चिह्नित सभी 38 गावों पर आवंटित शाखाएं खोली जा चुकी है, इसके लक्ष्य कि प्राप्ति के लिए महाप्रबंधक ने सभी बैंको के राज्य प्रमुखों और आग्रणी जिला प्रबन्धकों को बधाई दी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि **DFS** के दिशानिर्देशों के तहत झारखंड राज्य के 3000 से कम जनसंख्या वाले सभी 1945 गावों को भी **banking facility** से **cover** कर लिया गया है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- उन्होने सदन को अवगत कराया कि झारखंड राज्य में कुल जमा एवं ऋण मे वर्ष दर वर्ष निरंतर प्रगति देखी जा रही है, जिसका अनुकूल प्रभाव राज्य के **ऋण- जमा अनुपात (45.72%)** मे भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के लिए बैंकों द्वारा **place of utilization** संबन्धित डेटा में विसंगति पाई गई है, उन्होंने बताया कि 27.06.2024 को बैंक ऑफ इंडिया सहित कुछ प्रमुख बैंकों के साथ **place of utilization** के संबंध में कार्य किया गया , जिसके फल स्वरूप ऋण जमा अनुपात में वृद्धि पाई गई और यह **48.24%** तक पहुँच गया। श्री कुमार ने बैंकों से आग्रह किया कि **Place of Utilization** डेटा राज्य के ऋण जमा अनुपात की गणना के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसलिए उन्होने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से आग्रह किया कि वे एसएलबीसी को उक्त डाटा जमा करने से पहले व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच करे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने ऊपर बताई गई अपनी बातों को आगे बढाते हुए सभा को बताया कि बैंक ऑफ इंडिया का ऋण जमा अनुपात **26.54 प्रतिशत** है किन्तु अगर **Place of Utilization** के सही आंकड़ो को हम जब देखते है तो बैंक ऑफ इंडिया का ऋण जमा अनुपात **42.82 प्रतिशत** पहुँच जाता है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सभा को बताया कि विगत वर्ष में चलाये गये- **Village adoption phase-2 campaign** को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया, जिसके तहत कुल 1986 गावों को किसी भी बैंकिंग सुविधा से जोड़ कर संतृप्त किया जा चुका है। इसके लिए उन्होने सभी बैंकों और अग्रणी जिला प्रबन्धको को इस अभियान की सफलता के लिए बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ऑफ इंडिया ने **SHG linkage** के लिए 6500 से भी ज़्यादा मेगा कैंप आयोजित किये, जिनके ज़रिये लगभग **13414 SHG groups का first linkage** करवाया गया वहीं **8692** समूहों का **Subsequent linkage** भी किया गया।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- उन्होने आगे बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य और केंद्र सरकार की **Interest subvention** स्कीम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम सभा व शाखा स्तर पर **ऋण चुकाओ ऋण पाओ अभियान** के तहत **400 से भी अधिक शिविर आयोजित किए गए,** जिनके ज़रिये लगभग 1670 कृषकों को

प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया गया है। श्री कुमार ने इस क्षेत्र में राज्य **सरकार के कृषि व पंचायती राज विभाग का सहयोग मिलने** और उनके तत्वाधान से उचित मंच प्रदान किए जाने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि यदि राज्य सरकार के द्वारा उचित मंच प्रदान किए जाये तो सभी बैंक **SHG linkage,** 0% ब्याज पे मिलने वाले **KCC** और साथ ही साथ **JKRMY** के लाभार्थियों को **refinance** के बारे में जागरूकता फैला सकेंगे व उन्हे लाभान्वित कर सकेंगे।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य के लगभग 3000 **Branch command Areas** में छोटे छोटे कैंपों से लाभूकों को चिन्नहित कर जैसे रांची ज़िले के रातू में, हजारीबाग ज़िले के कोडरमा में, बोकारो ज़िले के गिरिडीह में व जमशेदपुर ज़िले के घाटशिला में **MEGA MSME HUNGAMA** कैंपों का आयोजन किया जिनके ज़रिये यह कोशिश की गयी की उनकी ऋण प्राप्ती में यदि कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जा सके और उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सके।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने बताया कि राज्य के अग्रणी बैंक की भूमिका को निभाते हुए, **Bank of India CNT/SPT act** के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए भी विधि संगत गृह ऋण उत्पाद ला रही है जो जल्द ही हमारी शाखाओं में उपलब्ध होगा।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

श्री कुमार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंकों व अन्य हितधारकों से कुछ अपेक्षाएँ को अपने अभिभाषण में रखा-

- उन्होने कहा कि pmfme स्कीम इस वर्ष अपने अंतिम चरण में है, इसलिए इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य के बैंको को कुल 4500 इकाइयों को वित्त संवितरण का लक्ष्य प्रदान किया जिसे एसएलबीसी द्वारा बैंकवार एवं जिलवार में बांटकर सभी हितधारकों को प्रदान किया जा चुका है। श्री कुमार ने सभी बैंकों और एलडीएम से आग्रह किया कि वे उक्त वार्षिक लक्ष्य एवं तिमाहीवार लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें सके, इसके बारे में रणनीति बनाएं।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने छात्र छात्राओं के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित **GURUJI STUDENT CREDIT CARD SCHEME** में भी सभी बैंको की सहभागिता को आवश्यक बताया और सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द राज्य सरकार के साथ **MOU** कर उक्त योजना के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे लक्षित वर्ग के छात्रों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का राज्य में विस्तार** हो इस पर सभा में प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अच्छे प्रदर्शन के लिया जाना जाता है, इसको बरकरार रखने के लिए उन्होने सभी एलडीएम से अनुरोध किया कि वे अभी तक वंचित रह गए लोगों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इससे जोड़ने की कोशिश करें और इसके लिए सभी फील्ड पदाधिकारियों को शामिल करके सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकन की गति जारी रखें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कुमार ने **KCC ऋण प्रवाह बढ़ाने** के लिए सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से आग्रह किया कि वे **FLC, CFL** के सहयोग से **ग्राम सभा , VLP, FDLC** जैसे कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान के बारे में जागरूकता फैलाएँ, ताकि **शीघ्र पुनर्भुगतान** करने पर, वे ब्याजरहित **KCC** ऋण प्राप्त कर सकें। उन्होने

आगे कहा कि क्यूंकि यह तिमाही कृषि ऋण के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी बैंकों से भी इस बावत कार्य करने और अधिक से अधिक कृषि ऋण वितरण करने की अपेक्षा है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने **कृषि ऋण माफी योजना में बैंको द्वारा सहभागिता** दिखने कि बात सभा में रखी। उन्होने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है जो इस वर्ष झारखंड सरकार के तत्वाधान से लाया जा रहा है, उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि अपनी अपनी कार्ययोजना बना कर जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएँ एवं **KCC** ऋण धारकों तक यह लाभ पहुंचाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- अपने अंतिम वक्तव्य में श्री कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग – झारखंड सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार से अनुरोध करते हुआ कहा कि राज्य के सभी **RSETI** ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, किन्तु रोजगार सृजन हेतु उन्हे उपयुक्त आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है, जिसका एक प्रमुख कारण बैंकों द्वारा **low credit linkage** भी है। उन्होने इस मंच से ग्रामीण विकास विभाग से यह अनुरोध किया कि वे **PM SVANIDHI** की तर्ज पर एक **dedicated loan application portal** बनाएँ जिससे सभी **RSETI sponsored applications** का **movement track** हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण **credit linked** हो सकें।

(एक्शन- राज्य सरकार)

अपने अभिभाषण के अंत में श्री कुमार ने **RBI,** राज्य सरकार, **NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार का सम्बोधन-

- महाप्रबंधक एसएलबीसी द्वारा दिए गए संबोधन का जिक्र करते हुए, सचिव, वित्त विभाग, श्री प्रशांत कुमार ने बेहतर ऋण जमा अनुपात, एसीपी लक्ष्यों में उपलब्धि और बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के कवरेज के संबंध में सदस्यों की सराहना की हालाँकि, उन्होने कहा की अभी भी लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के तहत हमें काम करने की अवशकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने कहा कि कुछ जरूरी कार्य हैं जिन्हें जल्द करने की जरूरत है, उनमें से एक महत्वपूर्ण काम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों की सहभागिता है। उन्होने बताया की राज्य में कार्यात कुछ बैंक इससे जुड़ चुके है किन्तु कुछ बैंक को अब भी जुड़ना बाकी है, उन्होने बैंको के राज्य प्रमुखों से आग्रह किया की वे जल्द से जल्द खुद को इस योजना से जोड़े ताकि राज्य के छात्रों को इस महतव्यपूर्ण योजना से लाभान्वित किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने झारखंड और बिहार सरकार के पेंशन वितरण से संबंधित मुद्दे से सदन को अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों के बीच गलत वर्गीकरण के कारण दो राज्यों में पेंशन की राशि में असमानता पाई जा रही थी, हालाँकि, उन्होने बताया की अभी ये मामला सुलझ गया है किन्तु उन्होंने बैंकों से पेंशन से जुड़े संवेदनशील मामले को निपटाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ वित्त विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार ने कहा कि सरकार की अति महातव्यपूर्ण योजना **झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना** चल रही है, जिसका लाभ राज्य के किसानों को देना है। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से इस मामले में सहयोग करने का आग्रह किया ताकि इस योजना को राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कुमार ने अपने भाषण में सदस्यों को बताया कि आरबीआई के सुझाव पर, वित्त विभाग, झारखंड सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक परस्पर सहयोग से एक **tech platform** विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ऋणदाताओं को किसानों की भूमि/संपत्ति से संबंधित डाटा एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके व बैंकों **frictionless credit** किसानों और इच्छुकों तक पहुंचा सकें।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

ग) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कृष्णा जहागीरदार का सम्बोधन-

सबसे पहले मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्री एस.के. जहांगीदार ने नाबार्ड को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों को धन्यवाद दिया।

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने सदन को बताया कि नाबार्ड ने व्यवसायिक पैरामीटर्स के तहत 4,946 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड वितरण किया है, उन्होंने आगे कहा कि अगर हम वित्त वर्ष 2020-21 से तुलना करें तो नाबार्ड ने झारखंड में केवल 105 करोड़ रुपये वितरित किए थे, जबकि इन तीन सालों में यह वितरण बढ़कर 40 गुना से भी अधिक हो गया है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री जहाँगीदार ने बताया कि **RIDF** के तहत राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 1871 करोड़ रुपये का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो ग्रामीण विकास और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

उन्होंने सदस्यों को आगे बताया कि राज्य सरकार **RIDF** के तहत जिन क्षेत्रों को वित्त पोषित कर रही है, उनमें एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार **RIDF** के तहत सड़कों, पुलों और छोटी सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित करती थी किन्तु अब राज्य सरकार ने **RIDF** के तहत वित्तपोषण में बदलाव किया है और अब वे डेयरी संयंत्रों, दूध प्रसंस्करण इकाइयों, प्रमुख पुलों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जिसके तहत उन्होने दिशोम गुरु शिबू सोरेन ब्रिज जो दुमका में मयूराक्षी नदी पर है और जमशेदपुर में मानगो-डिमना रोड सह पुल का उदाहरण देते हुए कहा की इनका सीधा-सीधा लाभ राज्य को हो रहा है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे 2,36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके अतिरिक्त, श्री जहांगीदार ने बताया कि नाबार्ड ने 77 पेयजल परियोजनाओं का समर्थन किया है जिससे राज्य के सभी 24 जिलों के लोगों को लाभ होगा।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री जहांगीदार ने बैठक में वित्तीय समावेशन का विषय उठाया और कहा कि नाबार्ड अन्य हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड के पास एक वित्तीय समावेशन कोष है जो पिछले 15 वर्षों

से कार्यरत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2024 तक झारखंड में **PMJDY** के तहत लगभग 1.84 करोड़ खाते खोले गए हैं, इनमें से 86.35% (लगभग 1.58 करोड़) से अधिक खाते आधार-सीडेड हैं, और इनमें से लगभग 68.02% खातों को **RuPay** कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन आज भी लगभग 50 लाख आबादी के पास बुनियादी बैंकिंग खाते नहीं हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ बैंकरों और एलडीएम से अनुरोध किया कि वे वंचित रह गयी आबादी का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाएं।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री जहांगीदार ने कहा कि मार्च 2024 तक, **PMJJBY** और **PMSBY** के खातों की संख्या में कमी आई है, हालांकि उन्होने बताया की **APY** में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 2,84,560 नए खातों के नए नामांकन किया है। उन्होंने बैंकों से इस बात का आत्मनिरीक्षण करने का अनुरोध किया कि **PMJJBY** और **PMSBY** में नामांकन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि मार्च 2024 तक झारखंड के बैंकिंग नेटवर्क में 3,280 शाखाएँ शामिल हैं, जिनमें से 1,480 शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, इसके विपरीत, उन्होने बताया कि भारत का बैंकिंग नेटवर्क 18,00,000 शाखाओं तक विस्तारित है। श्री जहांगीदार ने बताया कि जहाँ झारखंड की बैंकिंग पहुंच प्रति शाखा 12,378 लोगों तक कि है वहीं राष्ट्रीय औसत प्रति शाखा 7,873 लोगों कि है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री जहांगीदार ने बताया कि माँझने गांव ब्लॉक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा के उद्घाटन के लिए अपनी यात्रा के समय, उन्हे गिरिडीह जिले के लेधा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ बातचीत की और पाया कि गांव में विभिन्न बैंकों के 04 बैंकिंग संवाददाता काम कर रहे हैं फिर भी ग्रामीण लोगों को उचित बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल रही हैं और जबकी इस प्रकार के गांवों में काफी संभावनाएं हैं। इस संबंध में उन्होंने सभी वरिष्ठ बैंकर्स एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के पिछड़े संभावित गांवों की पहचान कर वहां बैंक शाखा खोलने का प्रयास करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री जहाँगीदार ने कहा कि 31-03-2024 तक प्रति लाख जनसंख्या पर सक्रिय बीसी की संख्या लगभग 338 है, यानी प्रति बीसी 296 व्यक्ति। उन्होने आगे बताया की राज्य में कुल 1,42,527 बीसी में से 1,11,473 बीसी सक्रिय हैं, जिनमें से 47,044 सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि 31,054 निष्क्रिय हैं, उन्होने निष्क्रिय बीसी को सक्रिय करने के लिए बैंको से कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि झारखंड का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे बना हुआ है, मार्च 2024 तक यह 48.24% रही, जो जमा की तुलना में कम ऋण उपलब्धता को दर्शाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों के बारे में भी जानकारी दी, जहां कम ऋण वाले जिलों के लिए प्रति व्यक्ति औसत **PSL** 6000 रुपये हुआ करता था, जिसे संशोधित कर 9000 रुपये कर दिया गया है। इसके विपरीत, उच्च ऋण वाले जिलों में इसे 25000 रुपये से बढ़ाकर 42000 रुपये कर दिया गया है, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि केवल रांची जिला उच्च **PSL** जिले के अंतर्गत आता है, अन्य सभी जिले निम्न **PSL** श्रेणी में आते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 5 जिले अर्थात पश्चिमी सिंहभूम (12.31%), सिमडेगा (29.76%), चतरा (30.32%), जामताड़ा (30.82%), और गुमला (31.96%) में ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है जो की एक चिंता

का विषय है और सभी हितधारकों को इन जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने इन जिलों में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों को देखने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उन्होंने सदन और राज्य सरकार को सुझाव दिया कि रांची में चर्चा करने के बजाय क्यों न जिलों में सचिव की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों, एलडीएम और शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की जाये और ऋण जमा में सुधार कैसे हो, इस पर ठोस रणनीति बनायी जाये. ताकि वस्तुतः जिले के ऋण जमा अनुपात में सुधार हो सके।

(एक्शन- सभी हितधारक)

❖ श्री जहागीरदार ने सदन को वित्तीय समावेशन निधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड में बनाए गए फंड (एफआईएफ) ने 15 साल पूरे कर लिए हैं और राज्य भर में एफआई जागरूकता फैलाने और प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण आदि के लिए बैंकों का समर्थन करने वाली कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने झारखंड में **FIF** के तहत मात्र 12.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है, जो बहुत कम है. उन्होंने बैंकों से नाबार्ड की इस निधि के भरपूर उपयोग का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री जहागीरदार ने कहा कि नाबार्ड ने अब तक 245 एफपीओ की स्थापना की है, जिसमें 1.10 लाख किसान सदस्य हैं और उन्होंने लगभग 1100 लाख रुपये की **Share Capital** जुटाई है। उन्होंने चिंता जताई कि केवल 19 एफपीओ को अब तक वित्तपोषित किया गया है और उन्होने बताया की खराब प्रदर्शन का कारण शाखा प्रबंधकों में इस बावत जानकारी की कमी है, इसलिए उन्होंने बताया कि नाबार्ड एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है और उक्त कार्यशाला में वरिष्ठ स्तर के बैंकरों की भागीदारी की उम्मीद है।

(एक्शन- नाबार्ड और समस्त बैंक)

❖ श्री जहांगीदार ने बताया कि आने वाले समय में नाबार्ड **Climate Smart Agriculture** विशेषकर दलहन, तिलहन और बाजरा को प्रोत्साहन प्रदान करने जा रहा है। उन्होने आगे कहा की नाबार्ड गढ़वा, पलामू और गोड्डा में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जहां नाबार्ड द्वारा चिन्हित किसानों के क्रेडिट लिंकेज के लिए बैंकरों को आमंत्रित कर उन्हे वित्तपोषित किया जाएगा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने सदन को बताया कि **KHEYTI** नाम का एक स्टार्ट-अप, शेड नेट्स के माध्यम से, आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जहां ब्रोकोली, सेलेरी, लेट्यूस, रंगीन शिमला मिर्च जैसी उच्च तकनीक वाली विदेशी फसलों की खेती की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार भी इन योजनाओं को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, इसलिए बैंकरों के लिए यह वित्त पोषण का एक अच्छा अवसर है क्योंकि एक शेड नेट की निवेश लागत 75,000 से 1,25,000 रुपये के बीच आती है। उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड 50 प्रतिशत प्रदान करने की योजना बना रहा है, 20 प्रतिशत किसान से आएगा और शेष राशि बैंकों से ऋण के रूप में आ सकता है, इसलिए उन्होंने बैंकों से वित्तपोषण की संभावना तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ऐसे किसानों की सूची बैंकों के साथ साझा करेगा ताकि इच्छुक बैंकर किसानों को वित्त प्रदान कर सकें।

(एक्शन- नाबार्ड और समस्त बैंक)

❖ श्री जहांगीरदार ने बताया कि नाबार्ड 12 से 14 जुलाई 2024 तक मोरहाबादी मैदान में तरंग मेले का पहला चरण आयोजित करने जा रहा है जहां 75 से अधिक **FPOs** को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड इन **FPOs** को **ONDC** प्लेटफॉर्म पर शामिल करने का प्रस्ताव रखता है ताकि वे ई-कॉमर्स के माध्यम से बड़े बाजार तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि यह फिर से बैंकरों के लिए नाबार्ड के साथ जुड़ कर इस क्षेत्र में काम करने का अवसर है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री जहांगीरदार ने बताया कि डिजिटल कृषि ऋण में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक साझेदारी में, नाबार्ड अपने ई-केसीसी ऋण उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल को रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के **frictionless** क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगा।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

घ) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन

❖ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने वार्षिक ऋण योजना के तहत 109 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने राज्य के ऋण जमा अनुपात में वर्ष दर वर्ष 7.03 प्रतिशत की वृद्धि पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होने बताया की 31.03.2024 को उक्त अनुपात झारखंड राज्य में 48.24 प्रतिशत रही। श्री सिंह ने बताया कि ये उपलब्धियाँ राज्य, जिलों और बैंकों में समान रूप से नहीं हैं। उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप बताया की वार्षिक ऋण योजना के तहत सदस्य बैंकों की उपलब्धियों 29 प्रतिशत से लेकर 334 प्रतिशत के दायरे में रही है।

उन्होंने सलाह दी कि जिन बैंकों और जिलों की उपलाब्धी कम है, उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य हासिल करने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने आगे सलाह दी कि संबंधित बैंकों और जिलों के सामने आने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर से रणनीति बनाई जा सकती है, जिसमें प्रदर्शन करने वाले बैंकों और जिलों की रणनीतियों का जिक्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे एसीपी उपलब्धि के साथ-साथ ऋण जमा अनुपात में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी.

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री सिंह ने बताया कि **27.06.2024** को अंतर्राष्ट्रीय एम.एस.एम.ई दिवस था और सरकार ने दो नई योजनाएँ **यानी MSME तीन पहल** और **यशस्विनी योजना** शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए एम.एस.एम.ई बहुत महत्वपूर्ण है, इससे न केवल देश का आर्थिक विकास होता है बल्कि रोजगार सृजन भी होता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न अभियानों के माध्यम से एमएसएमई को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है, नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है साथ ही टाउन हॉल बैठकें आयोजित कर रहा है जहां महिला उद्यमी पूरे उत्साह के साथ भाग लेती है। उन्होने अपने वक्तव्य में बैंकों तथा एलडीएम को एम.एस.एम.ई एकाइयों को बढ़ावा देने तथा वित्तपोषित करने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने वित्त विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार द्वारा आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में दिए गए संबोधन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इनोवेशन हब में आरबीआई नई तकनीकें ईजात करने की कोशिश करता है, जिससे नागरिकों को आसानी से और समय पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

उन्होंने आगे बताया कि आरबीआई इनोवेशन हब ने एक **पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट** विकसित किया है, जहां संस्थानों से आवश्यक जानकारी को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाया गया है जो जनता को परेशानी मुक्त ऋण के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि यह प्लेटफार्म 05 राज्यों में शुरू किया गया है। उनकी इच्छा है कि यह प्लेटफॉर्म झारखंड राज्य में भी शुरू किया जाये। उन्होंने सदन को राज्य में सार्वजनिक तकनीकी मंच फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को लागू करने के लाभों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे यह मंच किसानों को आसानी से और मिनटों में केसीसी ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म न केवल केसीसी ऋण प्रदान करेगा बल्कि उक्त प्लेटफॉर्म में 8 और ऋण उत्पाद भी हैं। इसके साथ ही उन्होने आशा जताई की भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार इस प्लैटफ़ार्म को झारखंड राज्य में जल्द लागू कर सकेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं आरबीआई)

❖ श्री सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक की 89वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर 01.04.2024 को मुंबई में आयोजित बैठक के बारे में सदन को जानकारी दी, जहां माननीय प्रधान मंत्री ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष में रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सुलभ और स्वीकार्य बनाया जाए। श्री सिंह ने आगे बताया कि उस बैठक में यह महसूस किया गया कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारतीय मुद्रा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्होने बताया की इसी दिशा में दो देशो के साथ स्थानीय मुद्रा **Settlement** पहले से ही है, जैसे रूस और यूएई। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बैंकों ने विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोले हैं और उनका रखरखाव कर रहे हैं। उन्होंने बैंकों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये में लेन देंन को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सदस्यों को वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर आरबीआई की पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई वर्ष 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है, उन्होने बताया कि इस बार भी यह 26 फरवरी से मार्च 2024 तक यह आयोजित किया गया था और इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान आरबीआई ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजों को कवर करने का प्रयास किया है जहां वित्तीय साक्षरता की अवशकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ वर्ष के अवसर पर, आरबीआई स्कूलों में पहुंचकर वित्तीय साक्षरता के विषय में जागरूकता फैलायेंगे और दूर दराज के क्षेत्रो के करीब 90 स्कूलों तक पहुंचने और वित्तीय साक्षरता के बारे में पढ़ाने की योजना इस वर्ष तक बनाई है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री सिंह ने बताया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के बाद आरबीआई ने 04 मार्च से 10 मार्च तक डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया है और यह पूरे देश में मनाया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त जागरूकता सप्ताह के दौरान माननीय आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की थी कि बुनियादी ढांचों को डिजिटल क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि इसी कड़ी में झारखंड ने भी 121 डिजिटल क्लस्टरों की पहचान की है और लक्ष्य रखा है कि 31 जुलाई तक इन क्लस्टरों को डिजिटल रूप से सशक्त बना दिया जाये। उन्होंने सभी बैंकों और एलडीएम से उक्त लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इससे पहले, झारखंड राज्य के दो जिलों को 100 प्रतिशत डिजिटल कर लिया गया है और शेष 22 जिलों को मार्च 2024 तक डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि, राज्य समय सीमा के भीतर उक्त लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रहा,

इसलिए उन्होंने सभी बैंकों और एलडीएम से अनुरोध किया 30 जून तक सभी बचत और चालू खातों को 100 प्रतिशत डिजिटल बनाना सुनिश्चित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

सभी हितधारकों के परस्पर सहयोग से राज्य की प्रगती की कामना के साथ श्री सिंह ने अपनी वाणी को विराम दिया।

ङ) सीईओ, जे.एस.एल.पी.एस श्री संदीप सिंह का सम्बोधन

❖ श्री संदीप सिंह ने सदन को बताया कि जे.एस.एल.पी.एस एक ऐसा समूह है जहां 33 लाख महिला स्वयं सहायता समूह हैं और इन समूहों को सखी मंडलों के माध्यम से बैंकों द्वारा वित्त/ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,80,300 स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण का लक्ष्य बैंकों को दिया गया था। सीईओ जे.एस.एल.पी.एस ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए खातावार और राशिवार लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी बैंकों को बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के समान ही रहेगा, यानी 1,80,300 स्वयं सहायता समूह खातों में 3300 करोड़ रुपये की राशि का लक्ष्य बैंको के लिए रखा गया है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ एसएलबीसी उप समिति की बैठक और केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के बारे में बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत ऋण की राशि बढ़ाने की सलाह दी गयी। उन्होंने आगे कहा कि सखी मंडल समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को बड़ी मात्रा में वित्त पोषित करने की आवश्यकता है ताकि बड़ी उद्यमिता विकसित हो सके। उन्होंने आगे बताया कि 80 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से कम का वित्त पोषण किया गया है। इसलिए, उन्होंने बैंकों से इन स्वयं सहायता समूहों को बड़ी सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन समूहों में एनपीए प्रतिशत 1 प्रतिशत से भी कम है, इसलिए, बैंकर्स को बड़ी सुविधा प्रदान करते समय कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री सिंह ने बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय रूप से प्रशिक्षित सखी मंडलों को बैंक बैंकिंग संवाददाता के रूप में नियुक्त करें। साथ ही, उन्होंने बैंकों से सखी मंडलों को व्यक्तिगत मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया और कहा कि चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है: एक लाख सखी मंडल खाते और एक हजार करोड़ रुपये की राशि, जो प्रति सखी मंडल खाता एक लाख रुपये है। उन्होने सभी बैंको से जादा से जादा सखी मंडल को वित्तपोषित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ सीईओ जे.एस.एल.पी.एस ने राज्य में बैंकों द्वारा आरसेटी-स्रोत अनुप्रयोगों के कम क्रेडिट लिंकेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बैंक अपने **RSETI** द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को ऋण सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सभी बैंकों से इन ग्रामीण युवाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

च) निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, श्री रामनिवास यादव का सम्बोधन

❖ बैठक में संचालक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा श्री रामनिवास यादव ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, राज्य सरकार मेधावी छात्रों को 4

प्रतिशत ब्याज दर पर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत चार प्रमुख हितधारक हैं: पहला उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से झारखंड सरकार, दूसरा कॉर्पस बैंक है जो कैबिनेट द्वारा तय किया गया है एचडीएफसी बैंक जिसके द्वारा कॉर्पस फंड रखा जाएगा, तीसरा हितधारक हैं सदस्य बैंक जिसे ऋण उप्लब्ध कराना है। हालाँकि, उन्होंने बताया कि अब तक केवल 5 बैंकों ने छात्रों को ऋण देने के लिए राज्य सरकार के साथ **MOU** पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश का समय है, श्री यादव ने शेष सभी बैंकों से राज्य सरकार के साथ **MOU** पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया, ताकि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ छात्रों को प्रदान किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

छ) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार श्री बादल पत्रलेख का सम्बोधन

- माननीय मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किसानों को मिनटों में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में दिये गये संबोधन का उल्लेख किया। उन्होंने सदस्यों से किसानों को यथाशीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री बादल पत्रलेख ने झारखंड सरकार की प्रमुख योजना कृषि ऋण माफी योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 61,268 केसीसी धारक आज तक गायब हैं, उक्त डाटा को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई.

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री ने बैंकों को एकमुश्त निपटान के माध्यम से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में एनपीए पर शीघ्र निर्णय लेने की सलाह दी। उन्होंने आगे बैंकों से एकमुश्त निपटान के लिए कहा जिससे केसीसी किसानों को राहत मिलेगी।

  माननीय कृषि मंत्री ने सदन को भारतीय रिजर्व बैंक की **FSI** रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी, जिसमें अब तक के सबसे निचले स्तर 2.8 प्रतिशत का संकेत दिया गया है और कहा गया है कि सरकार सूखे, कोविड से जूझ रहे 3 लाख एनपीए किसानों को राहत देने के लिए तैयार है ताकि उन्हें ऐसा लगे सरकार और बैंक उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। उन्होंने मंच से दो लाख रुपये तक का एनपीए माफ करने का निर्णय शीघ्र लेने का अनुरोध किया तथा उन्होंने बैंक को एनपीए किसानों को पुनर्वित्त करने का भी सुझाव दिया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री बादल पत्रलेख ने बैंकों से महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण बढ़ाने और उन्हें बैंक सखी के रूप में नियुक्त करने का भी आग्रह बैंको से किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के भाषण का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के 1.60 लाख रुपये केसीसी प्रदान करने का उल्लेख किया था। उन्होंने बैंकों और एलडीएम से किसानों को जल्द से जल्द इसे उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय मंत्री जी ने राज्य में कम ऋण जमा अनुपात को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में ऋण जमा अनुपात मात्र 12.31 प्रतिशत है, लेकिन बैंकों के पास तीस हजार करोड़ से अधिक की जमा राशि है, जो ऋण

वृद्धि के प्रति बैंकों की खराब प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा जैसे कम ऋण जमा अनुपात वाले कुछ अन्य जिलों का भी नाम लिया और बताया की इन जिलो में आदिवासी आबादी भी अधिक है। उन्होंने बैंकों से आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए राज्य को समर्थन देने को कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री पत्रलेख ने बताया कि यदि कोई किसान, जिसकी केसीसी ऋण सीमा तीन लाख रुपये तक है और वह एक वर्ष में शीघ्र पुनर्भुगतान करता है, तो वह ऋण पर शून्य ब्याज देने का हकदार है क्योंकि राज्य सरकार 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को अपने अच्छे किसानों की पहचान करनी चाहिए और शुरू में प्रति बैंक प्रति ब्लॉक 10 किसानों को यह लाभ देने का प्रयास करना चाहिए। इससे शेष किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे भी अपना केसीसी ऋण चुकाने की इच्छा दिखाएंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- उन्होंने कहा कि बैंक केवल पीएम किसान लाभार्थियों को ऋण प्रदान कर रहे हैं, हालांकि राज्य में 58 लाख बिरसा किसान हैं, जिनमें से केवल 20 लाख को ही ऋण सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने इस अंतर के प्रति नाराजगी जताई और बैंकों को जल्द से जल्द इस अंतर को भरने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ज) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार डॉ. रामेश्वर उराँव का सम्बोधन

- डॉ.रामेश्वर उराँव ने वित्तीय समावेशन के महत्व के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब लोग अपना पैसा बैंक खातों में जमा कर रहे हैं और प्रधान मंत्री जन धन योजना के शुभारंभ होने के बाद लोग और अधिक जागरूक हो गए हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना शुरू की थी और कुछ हद तक यह योजना सफल भी रही। हालाँकि, इस बार माननीय मंत्री ने बैंकों से दो महीने के भीतर कृषि ऋण माफ़ी योजना लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंकर्स को राज्य सरकार की ओर से हर तरह की सहायता देने की बात रखी और बैंकों से उनके प्रबंधकों को योजना के बारे में जागरूक करने का भी सुझाव दिया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- डॉ. उराँव ने बैंकों से गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए राज्य सरकार के साथ जल्द से जल्द एमओयू पर हस्ताक्षर कराने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए छात्रों को पंद्रह लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान करना है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय मंत्री ने सभी जिलों में जिला अधिकारियों, बैंकों और अन्य हितधारकों के बीच बैठक आयोजित करने के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड के सुझाव की सराहना की और कहा कि इस प्रकार की बैठक एक समय में 4-5 जिलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक प्रभाग स्तर पर बुलाई जा सकती है जहां डी.सी. , डीडीसी, बैंकर और अन्य हितधारक उपस्थित हो सकते हैं।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- डॉ. उराँव ने बैंकर्स से आग्रह किया कि वे लोगों को बैंक खाते खोलने और उसमें अपना पैसा जमा करने के बारे में जागरूक करें, जिससे सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता मिलेगी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- माननीय वित्त मंत्री ने राज्य में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि के लिए कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया को बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- माननीय वित्त मंत्री ने बैंकरों का समाज के आर्थिक नेता के रूप में उल्लेख किया और बैंकरों को जनता को ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु उचित कार्यवाही करने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- डॉ. उराँव ने कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ 78 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अधिकांश लोग कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, जो अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं। उन्होंने बैंकरों से कृषि क्षेत्र में अपनी साख सुधारने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- अंत में, माननीय वित्त मंत्री ने बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत, ग्रामीण लोगों की मदद के लिए, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री एम कार्तिकेयन और महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, श्री मनोज कुमार को धन्यवाद दिया तथा उन्होंने अन्य बैंकों से भी राज्य में सीएसआर गतिविधि में भाग लेने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

झ) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री एम कार्तिकेयन का सम्बोधन

- श्री एम कार्तिकेयन ने ऋण जमा अनुपात को 46.27 प्रतिशत से बढ़ाकर 48.24 प्रतिशत करने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है जो पर्याप्त नहीं है और एक चिंता का विषय है। उन्होने कहा की हालांकि, हमने कुल 92 हजार करोड़ का **ACP** लक्ष्य हासिल कर लिया है जो हमारे राज्य के लिए एक सफलता का विषय है, लेकिन अपने पिछले वर्ष कि एसएलबीसी बैठक के संबोधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में हम सभी ने ऋण जमा अनुपात को साठ प्रतिशत तक पहुंचाने पर सहमत हुए थे किन्तु हम पचास प्रतिशत से भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

  बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने आगे बताया कि 48 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात तक पहुंचने के लिए हम कल तक **Place of Utilization** का डेटा एकत्र कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी ऋण जो राज्य के बाहर स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन पूंजी का उपयोग झारखंड के अंदर किया जा रहा है वैसे डेटा बैंकों द्वारा ठीक से प्रदान नहीं किया जा रहे है अर्थात उन्होंने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों और बैंकों को उक्त डेटा की जांच करने और इन डेटा को एसएलबीसी तक पहुंचाने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कार्तिकेयन ने माननीय वित्त मंत्री के भाषण का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने बैंक खाता बनाए रखने के महत्व के बारे में जानकारी दी, उन्होंने सदन को बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में शून्य बैलेंस खाता यानी **BSBDA** खाते में 14,800 करोड़ रुपये की राशि देश भर में जमा है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले साल यह लगभग 3,800 रुपये प्रति

खाता था जो इस साल 5,000 रुपये प्रति खाता को छू रहा है। उन्होंने सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि वे युद्ध स्तर पर इन लोगों का खाता खोलकर इन लोगों की मदद करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने सदस्यों को **RSETI** के बारे में बताया कि यहां ग्रामीण बेरोजगार युवा प्रशिक्षण लेते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एसएचजी की अच्छे उत्पाद बनाने की क्षमता बहुत अधिक है, हमें इन गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने सभी सदस्यों, विशेष रूप से प्रमुख जिला प्रबंधकों, जो जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन प्रशिक्षुओं को समय पर ऋण सहायता मिले और इनकी गतिविधि को सम्पूर्ण सहायता मिले।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन ने एफपीओ के वित्तपोषण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में लगभग 248 एफपीओ हैं और आज तक राज्य ने उनमें से केवल 19 को ही वित्तपोषित किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में एफपीओ को 5 करोड़ रुपये तक के वित्तपोषण का प्रावधान है और उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि अन्य सदस्य बैंकों के पास भी एफपीओ के वित्तपोषण के लिए योजनाएं होंगी लेकिन बैंक इन एफपीओ को वित्तपोषित क्यों नहीं कर रहे हैं यह चिंता का विषय है। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया कि वे संबंधित मामले को शाखा प्रबंधकों तक पहुंचाएं और ए ग्रेड एफपीओ का वित्तपोषण सुनिश्चित करें। ***उन्होंने एस.एल.बी.सी से बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों के लिए एफपीओ वित्तपोषण के निमित लक्ष्य निर्धारित करने की भी सलाह दी।***

(एक्शन- एसएलबीसी, समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और जिलों द्वारा **ACP** की असमान उपलब्धि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उठाए गए मुद्दे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 24 जिलों में से 19 जिले आकांक्षी हैं और इन जिलों को आवंटित कुल लक्ष्य लगभग 74 हजार करोड़ था जिसमें से जिले ने 83 हजार करोड़ हासिल कर लिया है जो एक अच्छी उपलब्धि है। उन्होंने उपरोक्त उपलब्धि पर सदस्यों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि कुछ जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि अन्य में सुधार की जरूरत है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे एसएलबीसी के **stats** को देखें और इसे अपनी शाखाओं तक पहुंचाएं ताकि वे जान सकें कि जिले में उनकी क्या कमी है और अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाखाओं की सराहना करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन ने **PMFME** योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 7565 आवेदनों में से 6195 आवेदनों को बैंकों द्वारा खारिज कर दिया गया है. उन्होंने बड़ी संख्या में आवेदनों के खारिज होने पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकों के पास वितरण के लिए लंबित बड़ी संख्या में स्वीकृत आवेदनों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे स्वीकृत आवेदनों को लंबित न रखें और लंबित आवेदनों को 10 दिन के भीतर निस्तारित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन ने कहा कि बैंक शाखा प्रबंधकों को सरकारी प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने और लोगों को मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर महीने एक घंटे का शिविर आयोजित करने की आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने बैंकिंग संवाददाता का मुद्दा उठाया। उन्होंने निष्क्रिय **BC** में अपनी चिंता व्यक्त कि। उन्होने यस बैंक के पास **BC** की संख्या देखकर अपनी खुशी जाहीर कि किन्तु उक्त बैंक के प्रतिनिधि उनके सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने उल्लेख किया कि यस बैंक के पास 42,000 **BC** है लेकिन उन **BCs** के साथ वित्तीय संचालन कम है। उन्होंने एसएलबीसी से यस बैंक के **BC** की जांच करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- एसएलबीसी एवं येस बैंक)

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने **RSETI** के द्वारा राज्य में हुई उनके प्रदर्शन के बारे में बात की। उन्होंने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की कि 19,765 के आवंटित लक्ष्य में से 20,775 उम्मीदवारों को राज्य के **RSETI** में प्रशिक्षित किया गया है। श्री कार्तिकेयन ने **RSETI** प्रशिक्षित उम्मीदवारों के क्रेडिट लिंकेज प्रतिशत के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और बताया की राज्य में बैंको द्वारा केवल 58 प्रतिशत उम्मीदवारों को हीं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया कि वे **RSETI**-प्रशिक्षित उम्मीदवारों के क्रेडिट लिंकेज में सुधार पर काम करें। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को प्रशिक्षण सत्र के अंत तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मंजूरी पत्र प्रदान करना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री कार्तिकेयन ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लंबित आवेदनों के प्रति अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि बैंकों के पास 2554 आवेदन लंबित हैं, जिस पर उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपना लंबित आवेदन जल्द से जल्द निपटाएं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा कम ऋण देने पर जे.एस.एल.पी.एस के सीईओ द्वारा उठाए गए बिंदु का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में प्रति **SHG** पर औसत ऋण केवल 1.5 लाख है तब जब समूह अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में प्रत्येक **SHG** को 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान बैंको द्वारा दिया गया है। उन्होंने झारखंड राज्य में **SHG** के औसत टिकट आकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और बैंकों से महिला स्वयं सहायता समूह के ऋण को बढ़ाने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री कार्तिकेयन ने सदन को केवाईसी अनुपालन के लिए **CERSAI** के महत्व के बारे में बताया और सदन को टोल फ्री नंबर यानी **7799022129** प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त नंबर पर मिस कॉल देता है तो यह आपको आपका **CKYC** नंबर प्रदान करेगा। उन्होंने बैंकों और एलडीएम से इस नंबर को लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने सदन में कहा कि सभी बैंकों की अपनी एकमुश्त निपटान नीति है, जहां बैंक ऋण का कुछ हिस्सा माफ कर देते हैं। उन्होंने संयोजक एसएलबीसी प्रमुख से उपर्युक्त योजना पर जल्द से जल्द कार्यान्वयन करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र में 13 प्रतिशत एनपीए है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 17 प्रतिशत था, उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बैंकों का एनपीए कम हो रहा है। उन्होंने सदन में यह भी बताया कि आरबीआई की **IRAC Norms** के अनुसार

बैंकों को जहां भी आवश्यकता हो, ऋण को पुनर्वित्त करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए जल्द ही सभी बैंक एक मंच पर आएंगे और कृषि ऋण योजना को अमल करेंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

व्यवसायिक सत्र

व्यावसायिक सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबन्धक ,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री रोशन चौधरी द्वारा किया गया, इस सत्र में श्री चौधरी ने सभा अध्यक्ष श्री कार्तिकेयन व क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहभागिता के साथ सभी बैंक व अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की समीक्षा करी। बिजनेस सत्र के दौरान निकले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे:

- श्री चौधरी ने सदन को सूचित किया कि **Place of Utilization** का डेटा जमा करते समय, बैंकों को अपने संबंधित प्रधान कार्यालयों से इसकी पुन: पुष्टि करनी होगी और फिर इसे एसएलबीसी को प्रदान करना होगा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री चौधरी ने एसएलबीसी उप समिति के दौरान हुई विभिन्न महत्वपूर्ण चर्चाओं से सदन को अवगत कराया. ऐसा ही एक कृषि विभाग द्वारा बिरसा कृषि वेब पोर्टल का विकास था, जहां 17.50 लाख किसानों का डेटा बैंकों के पास उपलब्ध होगा। उन्होंने कृषि विभाग के विशेष सचिव श्री प्रदीप हजारी को इस पोर्टल पर जानकारी देने को कहा।
  - कृषि विभाग के विशेष सचिव ने सदन को बताया कि कृषि विभाग ने बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल के नाम से वेब पोर्टल विकसित किया है, जो राज्य ऑडिट के बाद सक्रिय हो जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि पोर्टल 37.84 लाख किसानों का विवरण प्रदर्शित करेगा। सभी किसान विवरण को उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उक्त पोर्टल प्रज्ञा केंद्र पर भी उपलब्ध होगा, इससे बैंकों को फसल ऋण, कृषि सावधि ऋण के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री चौधरी ने सदन को सूचित किया कि **RSETI** स्रोत वाले ऋण आवेदन की आवाजाही के लिए **MoRD** द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। उन्होंने विभाग के प्रतिनिधि से सदन को पोर्टल के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया।
  - विभाग के प्रतिनिधि ने सदन को बताया कि बैंकों में क्रेडिट के लिए जमा किए गए आवेदनों पर या तो कार्रवाई नहीं की जा रही है या देरी हो रही है, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में लगभग 9000 **RSETI** आवेदन बैंकों के पास लंबित हैं। उन्होंने आगे बताया कि शाखा में जमा किए गए **RSETI** आवेदन का सटीक डेटा ट्रैक करने और प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री रोशन चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक ऋण योजना को अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा। उन्होंने आगे कहा कि बैंकवार और जिलेवार लक्ष्य हितधारकों के साथ साझा किए जाएंगे। सदन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,20,000 करोड़ के एसीपी लक्ष्य को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री चौधरी ने सदन को बताया कि **FLC** के आठ पद रिक्त हैं, जिनमें सरायकेला, रांची, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज शामिल हैं. उन्होंने इन जिलों में एफएलसी रखने वाले बैंकों से अनुरोध किया कि कृपया इन्हें जल्द से जल्द नियुक्त करें।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बैंकों से **FLCs** की नियुक्ति की समयसीमा तय करने को कहा। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने सभी **FLCs** प्रायोजित बैंकों को अगली एसएलबीसी बैठक से पहले अपने **FLCs** नियुक्त करने की सलाह दी।

(एक्शन- सभी FLCs प्रायोजित बैंक)

❖ सदन को बताया गया कि निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बेहतर है. श्री चौधरी ने आगे बताया कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जहां ऋण जमा अनुपात कम है: एसबीआई (34.33%), इंडियन बैंक (25.87%), बीओआई (42.79%)।

श्री कार्तिकेयन ने इंडियन बैंक के राज्य प्रमुख से बैंक के कम ऋण जमा अनुपात पर टिप्पणी करने का अनुरोध किया। इंडियन बैंक के राज्य प्रमुख ने कहा कि बैंक का ध्यान बैंक के **Credit Portfolio** को बढ़ाकर ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने पर है और उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि बैंक निश्चित रूप से उक्त अनुपात में वृद्धि करेगी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सुझाव दिया कि आंतरिक रूप से कम ऋण जमा अनुपात वाले बैंक अन्य बैंकों के बराबर होने के लिए अपने प्रधान कार्यालयों के परामर्श से कुछ रोड मैप बना सकते हैं और एसएलबीसी को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक ने सदन को सूचित किया कि आरबीआई की अग्रणी बैंक योजना के अनुसार वर्तमान में जिले को हर तिमाही में **DLRC** बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है, जहां संबंधित सांसद या विधायक को उक्त बैठक में भाग लेना होता है। उन्होंने आगे कहा कि एलडीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 5 साल में 476 बैठकों में से केवल 139 बैठकों में ही जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय लीड बैंक योजना की समीक्षा कर रहा है, जहां सभी राज्य एसएलबीसी को डेटा की समीक्षा करने और सुझाव देने की सलाह दी गई है कि क्या **DLRC** बैठक की आवृत्ति को अर्धवार्षिक या वार्षिक तक कम करने की आवश्यकता है।

सदन ने सर्वसम्मति से DLRC की बैठक अर्धवार्षिक आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक ने सदन को सूचित किया कि 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि लेकर आई थी। उन्होंने आगे बताया कि जिन बैंकों में दस साल या उससे अधिक समय से लावारिस राशि जमा है और उक्त जमा राशि में कोई लेनदेन नहीं हुआ है, वैसे फंडों को भारतीय रिज़र्व बैंक के **DEA** फंड में स्थानांतरित किया जाता है और इन फंडों का उपयोग वित्तीय जागरूकता गतिविधि के लिए किया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 14 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हैं, जिन्हें इस **DEA** फंड के साथ जोड़ा गया है और वे राज्यों में लोगों की वित्तीय जागरूकता के लिए इस फंड का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने 11 मार्च, 2024 को आरबीआई केंद्रीय कार्यालय में **DEA** फंड के संबंध में आयोजित बैठक के बारे में बताया, जहां यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्यों में ग्रामीण आजीविका मिशन को **DEA** फंड के साथ शामिल नहीं किया गया है, उन्हें इसमें शामिल होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य से पलाश का आवेदन स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया गया है और वह विचाराधीन है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री सी एच गोपाला कृषणा जी ने एस.एल.बी.सी की 87वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

87वीं एसएलबीसी बैठक, मार्च 2024

28 जून 2024, होटल रेडिसन ब्लू, मेन रोड, राँची□

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	डॉ.रामेश्वर उराँव	वित्त मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
2	श्री बादल पत्रलेख	कृषि मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
3	श्री प्रशांत कुमार, भा॰प्र॰से□	सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
4	श्री एम कार्तिकेयन	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
5	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	9962249306
6	श्री सुनील कृषणा□हांगीरदार	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	9970760649
7	श्री बंगाराजू वेंकट कुनापाराजू	मुख्य महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	7710041200
8	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी	9099915122
9	श्री गौतम कु सिंह	महाप्रबंधक	नाबार्ड	9930544001
10	श्री सैय्यद रियाज अहमद, भा॰प्र॰से □अवर सचिव□		उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	9599553592
11	श्री सुजीत कुमार साहू	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	9334913525
12	श्री प्रभास बोस	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9669288088
13	श्री रामनिवास यादव, भा॰प्र॰से	निदेशक	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	7061464322
14	श्रीमती अनामिका शर्मा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9471859925
15	श्री सुनील कुमार	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
16	श्री प्रदीप हजारी	विशेष सचिव	कृषि विभाग, झारखंड सरकार	
17	श्री संदीप सिंह, भा॰प्र॰से□	सीईओ	जेएसएलपीएस	7488790483
18	श्री इजाज अनवर, भा॰प्र॰से	संयुक्त सचिव	कृषि विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग	7004225725
19	श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा	अपर सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	9431189403
20	श्री सर्वेश कुमार	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9086761122
21	श्री राजन पांडा	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	7008369513
22	श्री अल्फ्रेड गिरीश तिर्की	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8902390446
23	श्री पी आर झा	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	9556910803
24	श्री दीपू कुमार	उप सचिव	भूमि राजस्व एवं पंजीकरण	9199997194
25	श्री बिजय कुमार सेठी	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395611
26	श्री मुकेश मिश्रा	प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395612
27	श्री संजीव कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, रांची अंचल	
28	श्री दीप शंकर	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	9431089995
29	श्री एस सुब्रमण्यम	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	
30	श्री सीएच गोपाल कृष्णा□	उप महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	9440837450
31	श्रीमती शिखा चौधरी	आंचलिक प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9971149208
32	श्री गीतेश झा	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	
33	श्री प्रबोध कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
34	फ्लाइट लेफ्टिनेंट यू घोष	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9771431574
35	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9971981001
36	श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी झारखंड	भारतीय स्टेट बैंक	7718825815
37	श्री कमलेश मंडल	सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी झारखंड	भारतीय स्टेट बैंक	8002504680
38	श्री कुमार राहुल	अधिकारी	भारतीय स्टेट बैंक	9689783711
39	श्री राम स्वरूप सरकार	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9163730750
40	श्री राजीव रंजन	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	8617763005
41	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9958999735
42	श्री बैज नाथ सिंह	महाप्रबंधक - आंचलिक प्रमुख	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9162487223
43	श्री राजीव रंजन	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9073369980

44	श्रीमती भावना सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख	यूको बैंक	9835600823
45	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
46	श्री महेश कुमार राय	सहायक प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	8757776638
47	श्री आदित्य कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9697121900
48	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	जेआरजी बैंक	9492783000
49	श्री राज कुमार गुप्ता	जीएम	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	9204756198
50	श्री परिषेष पाठक	सीईओ	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8709199091
51	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8084173101
52	श्री राजेंद्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9837130924
53	श्री विनय कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	धनबाद केंद्रीय सहकारी बैंक	9430145773
54	श्री विनायक पाटिल	राज्य प्रमुख	एयरटेल पेमेंट्स बैंक	9890999888
55	अनुपस्थित		एयू लघु वित्त बैंक	
56	श्री सुभाष कुमार	ए.वी.पी	ऐक्सिस बैंक	7260811600
57	श्री अभय कुमार	क्लस्टर प्रमुख	बंधन बैंक	9534130002
58	श्रीमती ज्योति कुमारी	शाखा प्रमुख	डीबीएस बैंक	7547088880
59	श्री पिंटू कुमार सिंह	क्लस्टर प्रमुख	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक	
60	अनुपस्थित		फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	
61	श्री अशोक कुमार पांडे	क्षेत्रीय प्रमुख/उपाध्यक्ष	फिनो पेमेंट बैंक	7566668649
62	श्री विक्रम कुमार	सीडीएच	एयरटेल पेमेंट बैंक	7541049105
63	श्री मन्मय नायक	वीपी	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9937488260
64	श्री पुरूषोत्तम सिंह	प्रमुख क्षेत्र	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	8987520178
65	श्री देवव्रत धर	उप महाप्रबंधक (एसएच)	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9830442821
66	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	आरएच	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
67	श्री पंकज कुमार	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9892918208
68	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	प्रबंधक	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	7909087034
69	श्री बिराज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224956
70	श्री राज कमल	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9304143093
71	श्री फेहाद अहमद शाह	प्रबंधक	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	9596387070
72	श्री फरहान जलीली	क्षेत्रीय प्रमुख	जाना लघु वित्त बैंक	7280073087
73	श्री राजेश कुमार	सहायक प्रबंधक	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	9771492660
74	श्री प्रेम कुमार उपाध्याय	प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	9007206808
75	श्री ऋतु राज	वरिष्ठ आरएम	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	8328492453
76	श्री धनंजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक एवं क्लस्टर प्रमुख	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9836711150
77	श्री रवि शंकर	वितरण प्रबंधक	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7781003289
78	श्री अमरेन्द्र झा	जोनल हेड- एमबी लायबिलिटी (झारखंड)	उत्कर्ष एसएफबी	9334616474
79	श्री मनीष केसरी	ए.वी.पी	यस बैंक	9006782257
80	श्रीमती प्रेमा होरो	प्रबंधक	सिडबी	7388777382
81	श्री शिवम सिंह	सचिव	जेएसएआई	9835334399
82	श्री गौतम कुमार	एजीएम	बीएसएनएल	9431708822
83	श्री विवेक कुमार	एसडीई	बीएसएनएल	9431100928
84	श्री अमन आदित्य	सहायक प्रबंधक	एनएचबी	8448291940
85	श्री मोहम्मद आसिफ	सलाहकार (पीएमयू)	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	8984949220
86	श्री स्वप्नेश दास	प्रतिनिधि	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	7978706979
87	श्री प्रियरंजन बारिक	प्रतिनिधि	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	9900300366
88	श्री राजीव कुमार सिंह	वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी	सहकारी समिति का पंजीकरण करें	7004726652
89	श्री ए जी कुजूर	डिप्टी रजिस्टर	सहकारी समिति का पंजीकरण करें	9431782500
90	श्री धीरज होरो	एसपीएम	जेएसएलपीएस	8969170434

91	श्री अमित कुमार	एसएनओ आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
92	श्री राजीव कुमार	सहायक संचालक	केवीआईसी	9474059775
93	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी	9073396646
94	श्री आशुतोष कुमार	सहायक संचालक	कृषि विभाग	9792631212
95	श्री शशि भूषण मिश्रा	एसडीआर	NACER	9330752100
96	श्रीमती अंजलि लाकड़ा	कार्यक्रम प्रबंधक	उद्योग विभाग पीएमएफएमई	7043021312
97	श्री संजय कुमार	वित्त मंत्री के निजी सचिव	झारखंड राज्य सरकार	9431760111
98	श्री राहुल प्रताप सिंह	कृषि मंत्री के निजी सचिव	झारखंड राज्य सरकार	8986776611
99	श्री आबिद हुसैन	अग्रणी जिला प्रबंधक	बोकारो	8451978491
100	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	अग्रणी जिला प्रबंधक	चतरा	8340133328
101	श्री अमृत चौधरी	अग्रणी जिला प्रबंधक	गिरिडीह	8210169991
102	श्री अजित कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	रांची	9007826480
103	श्री राकेश आज़ाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	हज़ारीबाग	7209822572
104	श्री अमित कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	धनबाद	8298715715
105	श्री संतोष कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	पूर्वी सिंहभूम	7260814454
106	श्री पवन कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	गुमला	8879743105
107	श्री सनेत दुबे	अग्रणी जिला प्रबंधक	खूंटी	9661859585
108	श्री निवास कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	कोडरमा	9534741185
109	श्री नेवेनदु कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	लोहरदगा	8177819118
110	श्री संजीव कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	रामगढ़	8709551260
111	श्री बरुण कुमार चौधरी	अग्रणी जिला प्रबंधक	सरायकेला खरसावां	7903255293
112	श्री कार्तिक अनुराग मिंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	सिमडेगा	7362843027
113	श्री दिवाकर सिन्हा	अग्रणी जिला प्रबंधक	पश्चिम सिंहभूम	8936802753
114	श्री चन्द्रशेखर पटेल	अग्रणी जिला प्रबंधक	दुमका	9074485076
115	श्री चंदन चौहान	अग्रणी जिला प्रबंधक	गोड्डा	7781919295
116	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	अग्रणी जिला प्रबंधक	लातेहार	7781011677
117	श्री एंथोनी लियांगी	अग्रणी जिला प्रबंधक	पलामू	9934363710
118	श्री सुधीर कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	साहिबगंज	9771438409
119	श्री राजीव कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	देवघर	7992310119
120	श्री ए के मांझी	अग्रणी जिला प्रबंधक	गढ़वा	9934363709
121	श्री राजेश कुमार सिन्हा	अग्रणी जिला प्रबंधक	जामताड़ा	9470650026
122	श्री मनोज कुमार	अग्रणी जिला प्रबंधक	पाकुर	9771438410
123	श्रीमती आभा रानी सिंह	वित्तीय समावेशन विभाग	बैंक ऑफ इंडिया	
124	श्री प्रदीप चटर्जी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
125	श्री अश्वनी कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
126	श्रीमती दक्षणी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
127	श्री बिट्टू कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
128	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9431787051
129	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9931399824
130	श्री शशि भूषण	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
131	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9525166838
132	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9471182910
133	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8005958455